

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

बलजीत कौर उर्फ अमरजीत कौर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 128/2021

निर्णय दिनांक :- 18.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर व हाजरी वादिया स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -
वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 44 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78
के खाता संख्या 110 व 111 में अंकित नाम बलजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह के स्थान पर
बलजीत कौर उर्फ अमरजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं।
इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे
आज दिनांक 18.11.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की
मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व / 2021 / 458

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 18/11/21

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर